न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 23/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.4.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/49

वादीया

हेमलता पंवार पत्नि श्री सुगनचन्द पंवार, उम्र–48 वर्ष, जाति ढोली, निवासी गिरी, तहसील–रायपुर, जिला–पाली हाल निवासी 54, सुखीजा विहार ए, मांग्यावास, मानसरोवर जयपुर राज.

बनाम

1 अलादीन पुत्र जमाल खॉ, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
2. आशा पत्नि श्री संजय नायक, उम्र–वयस्क, जाति नायक निवासी बिराटिया कलां
3. इन्द्रा पत्नि श्री मंगलाराम, उम्र–वयुस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
4. गेवरखॉ पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
5. जगदीश पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
6. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
7. जितेन्द पुत्र श्री सुभाषचन्द, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
8. दिपेन्द पुत्र श्री सुभाषचन्द, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
9. दीपु पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
10. प्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
11. पिंकी पुत्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
12. बाबु खॉ पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
13. बाया पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
14. भुपेन्द्र पुत्र श्री सुभाषचंद्र, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
15. भॅवरूखॉ पुत्र श्री जमालखॉ, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
16. भोमाराम उर्फ विजय पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
17. मुकेशकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
18. विजय पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
19. शकुरखॉ पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
20. श्रवणकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
21. संगीता पत्नि श्री सुभाषचन्द, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
22. सुरेश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
23. सांयरी पत्नि श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
24. सोहनखॉ पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
25. हीराखॉ पुत्र श्री गफरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
26.. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 '92ए व 188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 11.10.2023**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बिराटिया कलां, पटवार हल्का बिराटिया कलां, भू. अभि.निरिक्षक क्षैत्र बर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 144 खसरा सं. 796 रक्बा 6.2160 हैक्टैयर किस्म चाही चारम मे वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। वादीया की खरीद शुदा भुमि है।

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। वादीया का 371/6144 वा हिस्सा बनता है जिस अनुसार वादीया की 0.3753 हैक्टेयर भुमि बनती है। उस हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादीया ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 25 तक का हिस्सा दर्ज रेकर्ड जमाबन्दी वर्णित अनुसार है। वादीया खरीद दिनाक से आज दिंनाक तक मौके पर कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रही है एवं मौके पर वादीया का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादीया एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मौके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भुमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 से 25 की वादीया की भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादीया एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 25 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त खातेदारों का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादीया के कब्जे की भुमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एंव उनसे बॅटवाडा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादीया ने खरीद के बाद कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 25 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादीया के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 25 ने वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादीया को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादीया के बार–बार बॅटवारा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण ने बॅटवारा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादीया को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकासैमा का पेश किया जा रहा है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 25

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर

से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादीया की भुमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने बटवाडा करने से मना कर दिया। वादीया ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बँटवारा मौके पर कब्जे अनुसार तकारमा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकारमा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिनाक 13.03.2023 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं है वादीया अपने कब्जे अनुसार विवादित भूमि का तकारमा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बटवाडा तकारमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। याद तकारमा आराजी वादीया अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आर्फ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादीया को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पडेगा। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के विरुद्व कब्जे के अनुसार तकारमा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बटँवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है। बिनायदावा दिनांक 13.03.2023 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को वादीया के हिस्से भुमि का कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकारमा करने का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादीया को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है । प्रतिवादीगण 1 से 25 को उपरोक्त वादपत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी सं. 26 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां, तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे है। वादपत्र के साथ द्वितिय प्रति, शपथपत्र कि प्रति पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। डिक्री तकास्मा वादीया बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा बिराटिया कलां, पटवार हल्का बिराटिया कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र बर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 144 खसरा सं. 796 रक्बा 6.2160 हैक्टैयर किस्म चाही चारम मे वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। वादीया की खरीद शुदा भुमि है। उपरौक्त विवादित भुमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बटी हुई है। विवादित भुमि मे वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भुमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादीया को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 25 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यंक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीया के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादीया द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोघ उत्पन्न होते हो।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। प्रतिवादीगण, तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की उक्त वाद पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने की प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु सहमत हैं। उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने के आदेश दिये गये थें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सम्मन तलब के बावजूद अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने उक्त वाद पत्र पर बहस सुनी गई। वकील वादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने के आदेश दिये गये जिसकी पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना मे तहसीलदार रायपुर ने नियमानुसार प्रपत्र मे बँटवाडा प्रस्ताव जरिये पत्रांक क्रमाक/ 1188 दिंनाक 22.09.2023 को पेश किया जो नियमानुसार है। प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव में खसरा नम्बर 796 रकबा 6.2160 हैक्टेयर में से राष्ट्रीय राजमार्ग 162 के लिए भूमि अधिग्रहण की हुई थी। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उसका अमल दरामद नहीं किया गया हैं। खसरा नम्बर 796 में से 0.1380 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई थी। अधिग्रहण की गई भूमि खाते में से कम करने के उपरांत 6.078 हैक्टेयर भूमि खाता विभाजन हेतु शेष रही जिसका खाता विभाजन निम्नांकित किया गया है। अधिग्रहीत भूमि को अलग से खसरा नम्बर 796/मी1 से दर्शाया गया हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर

क्र. स	नाम	खसरा	रकबा hec	किस्म
1	हेमलता पत्नि सुगनचन्द्र जाति ढोली सा. गिरी हाल जयपुर	796 मी	0.6523	चाही चारम
2	अलादीन पुत्र जमाल खां लोहार, 814/7751, गेवर खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, जगदीश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, जितेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, दिपेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, प्रकाश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, बाबू खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, भूपेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, भंवरू खां पुत्र जमाल खां लोहार 814/7751, भोमाराम पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल 7597/54257, विजय पुत्र मंगलाराम नायक 43/54257, श्रवणकुमार पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल 7597/54257, संगीता पत्नि सुभाषचन्द्र नायक 65/7751, सुरेश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, सायरी पत्नि गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, सोहन खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, हीरा खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257	796	5.4257	चाही चारम

उक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बॅंटवाडा प्रस्ताव को शामिल मिसल किया गया। उक्त बॅंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी से बहस सुनी गई। वकील वादी माफिक रेकर्ड तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बॅंटवाडा प्रस्ताव अनुसार आदेश दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बॅंटवाडा प्रस्ताव अनुसार खसरा खाता का बॅंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिराटिया कलां के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र. स	नाम	खसरा	रकबा hec	किस्म
1	हेमलता पत्नि सुगनचन्द्र जाति ढोली सा. गिरी हाल जयपुर	796 मी	0.6523	चाही चारम
2	अलादीन पुत्र जमाल खां लोहार, 814/7751, गेवर खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, जगदीश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, जितेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, दिपेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, प्रकाश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, बाबू खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, भूपेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, भंवरू खां पुत्र जमाल खां लोहार 814/7751, भोमाराम पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल 7597/54257, विजय पुत्र मंगलाराम नायक 43/54257, श्रवणकुमार पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल 7597/54257, संगीता पत्नि सुभाषचन्द्र नायक 65/7751, सुरेश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, सायरी पत्नि गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, सोहन खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, हीरा खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257	796	5.4257	चाही चारम
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	796 मी 1	0.1380	–

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत

वादीया

हेमलता पंवार पत्नि श्री सुगनचन्द पंवार, उम्र–48 वर्ष, जाति ढोली, निवासी गिरी, तहसील–रायपुर, जिला–पाली हाल निवासी 54, सुखीजा विहार ए, माग्यावास, मानसरोवर जयपुर राज.

बनाम

1 अलादीन पुत्र जमाल खॉं, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
2. आशा पत्नि श्री संजय नायक, उम्र–वयस्क, जाति नायक निवासी बिराटिया कलां
3. इन्द्रा पत्नि श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
4. गेवरखॉं पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
5. जगदीश पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
6. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
7. जितेन्द्र पुत्र श्री सुभाषचन्द, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
8. दिपेन्द्र पुत्र श्री सुभाषचन्द, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
9. दीपु पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
10. प्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
11. पिंकी पुत्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
12. बाबु खॉं पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
13. बाया पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
14. भुपेन्द्र पुत्र श्री सुभाषचंद्र, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
15. भॅंवरूखॉं पुत्र श्री जमालखॉं, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
16. भोमाराम उर्फ विजय पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
17. मुकेशकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
18. विजय पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
19. शकुरखॉं पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
20. श्रवणकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
21. संगीता पत्नि श्री सुभाषचन्द, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
22. सुरेश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति नायक, निवासी बिराटिया कलां
23. सायरी पत्नि श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
24. सोहनखॉं पुत्र श्री गफुरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
25. हीराखॉं पुत्र श्री गफरबक्ष, उम्र–वयस्क, जाति लोहार, निवासी बिराटिया कलां
26.. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर,

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्तागण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां का बंटवाड़ा प्रस्ताव

क्र. स	नाम	खसरा	रकबा hec	किस्म
1	हेमलता पत्नि सुगनचन्द्र जाति ढोली सा. गिरी हाल जयपुर	796 मी	0.6523	चाही चारम
2	अलादीन पुत्र जमाल खां लोहार, 814/7751, गेवर खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, जगदीश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, जितेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, दिपेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, प्रकाश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, बाबू खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, भूपेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र नायक 929/54257, भंवरू खां पुत्र जमाल खां लोहार 814/7751, भोमाराम पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल 7597/54257, विजय पुत्र मंगलाराम नायक 43/54257, श्रवणकुमार पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल 7597/54257, संगीता पत्नि सुभाषचन्द्र नायक 65/7751, सुरेश पुत्र मांगीलाल नायक 3244/54257, सायरी पत्नि गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, सोहन	796	5.4257	चाही चारम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर

	खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257, हीरा खां पुत्र गफूर बक्ष लोहार 1901/54257			
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	796 मी 1	0.1380	–

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

नीज.................. ....मुबलिक.............. ....बाबत............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.10.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वुजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक			
मुतफरिक	–	8	00	मीजान		00	00
मीजान		15	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।